# उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4

# <u>अधिसूचना</u>

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018 लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2019

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176, 213 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-49/2018/1952/तीस-4-2018-17(सा0)/2018, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा गजट में पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

# उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कहा और प्रारम्भ जाएगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नए अध्याय उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में अध्याय-नौ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया का बढ़ाया जायेगा। जाना

# अध्याय-नौ-क विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध

परमिट की 222-क आवश्यकता किसी मोटर यान का स्वामी या आपरेटर सार्वजनिक स्थान पर विद्यार्थियों को ले जाने के लिये परिवहन यान के रूप में किसी यान को तब तक प्रयोग नहीं करने देगा जब तक कि अधिनियम की धारा-74 के अधीन किसी शिक्षा संस्था द्वारा बस या ठेका गाड़ी परिमट के लिए उक्त अधिनियम की धारा-76 के अधीन परिमट जारी न कर दिया जाये।

विद्यार्थियों को 222-ख ले जाने हेतु परमिट की स्वीकृति

- (1) किसी 'शिक्षा संस्था बस' को अधिनियम की धारा 76 के अधीन निजी सेवा यान का परिमट प्राप्त करना होगा। स्वामी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र एस.आर. 23क में आवेदन करना होगा और प्राधिकारी, ऐसे आवेदन पत्र के अनुसार या ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, के साथ परिमट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसा परिमट स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परिमट प्रपत्र, एस0आर0-29क में जारी किया जायेगा।
- (2) किसी निजी बस के स्वामी, जिसके पास विद्यालय के प्राधिकारी के साथ लिखित करार हो, को अधिनियम की धारा-73 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र एस०आर०-21क में आवेदन करना होगा और प्राधिकारी आवेदन पत्र के अनुसार या ऐसे उपान्तरणों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, परिमट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसे परिमट को स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परिमट प्रपत्र एस०आर०-27क में जारी किया

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा।

- (3) विद्यालय वैन के स्वामी को, जिनके पास विद्यार्थियों के परिवहन हेतु संरक्षकों या संरक्षक समूह के साथ करार हो, धारा-73 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अग्रसारित करार की प्रति सहित प्रपत्र एस॰आर॰-21बी में आवेदन करना होगा। प्राधिकारी आवेदन के अनुसार अथवा कतिपय ऐसे उपान्तरणों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, परिमट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसा परिमट स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परिमट प्रपत्र एस०आर०-27ख में जारी किया जायेगा।
- (4) किसी निजी ऑपरेटर के साथ करार करने के पूर्व प्रत्येक विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-
  - (क) यान इस नियमावली में विहित समस्त सन्नियमों और समय-समय पर राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन करता है।
  - (ख) यान स्वामी और ड्राइवर का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
  - (ग) करार अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय एक वर्ष से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सकता है।

फीस 222-ग विद्यालय यान 222-घ की आयु सीमा

222-ग परिमट के लिए फीस नियम 125 के उपबन्धों के अधीन प्रभारित किया जायेगा।

- (1) शिक्षा संस्था बस (डीजल एवं स्वच्छ ईधन चालित) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।
- (2) डीजल/सी.एन.जी. चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।
- (3) डीजल/पेट्रोल/सी०एन०जी० अथवा किसी अन्य स्वच्छ इंर्धन चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति का गठन (1) प्रत्येक/जिला के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके परिवहन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, विनिश्चय करने तथा संस्तुति करने हेतु एक जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समित होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) जिलामजिस्ट्रेट।

222-ड.

अध्यक्ष

(दो) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

उपाध्यक्ष

- (तीन) सम्बन्धित सम्भाग का संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य (प्रवर्तन)।
- (चार) सम्बन्धित जिला का सहायक संभागीय परिवहन सदस्य सचिव अधिकारी (प्रवर्तन)।
- (पांच) यथा स्थिति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर पालिका सदस्य का अधिशासी अधिकारी या नगर आयुक्त।
- (छः) जिला विद्यालय निरीक्षक

सदस्य

(सात) बेसिक शिक्षा अधिकारी

सदस्य

ı- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(आठ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विद्यालय सदस्य परिवहन व्यवसाय के दो प्रतिनिधि

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में "विद्यालय परिवहन व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे यान स्वामियों से है जो विद्यालयों के लिए यानों का संचालन करते हैं।

- (2) सिमति की बैठक की गणपूर्ति 5 सदस्यों से होगी।
- (3) सिमिति की बैठक वर्ष में दो बार माह जनवरी और जुलाई में होगी।

समिति के	222-च	(1)    समिति यह सुनिश्चित करेगी कि यान का प्राविधिक निरीक्षण, विद्यालय परिसर	
कृत्य		में अथवा नियत स्थान पर किया जाय। यह निरीक्षण संभागीय निरीक्षक	
		(प्राविधिक) या उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	
		(2) सिमिति विद्यालय यानों की निरीक्षण अनुसूची इस प्रकार नियत करेगी कि	
		समस्त यानों की जांच वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाये।	
		(3) सिमति विद्यालय परिवहन सुरक्षा सिमति के कार्य सम्पादन का अनुश्रवण	
		करेगी और समय-समय पर मा॰ उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय तथा	
		राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	
विद्यालय	222-छ	(1) विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की देखभाल के लिए एक 'विद्यालय	
परिवहन		परिवहन सुरक्षा समिति" होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
सुरक्षा समिति	(ক)	सम्बन्धित विद्यालय का विद्यालय प्राधिकारी। अध्यक्ष।	
	(ख)	सम्बन्धित जिलामजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, सदस्य।	
		जो नायब तहसीलदार की श्रेंणी से नीचे का न हो।	
	( <del>1</del> 1)	विद्यालय प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट संरक्षकों के दो सदस्य।	
		प्रतिनिधि।	
	(ঘ)	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना अधिकारी/चौकी प्रभारी। सदस्य।	
	(ङ)	बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी सदस्य।	
		जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की श्रेणी से नीचे का	
		न हो।	
	(च)	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक अधिकारी सदस्य।	
		जो उपखण्ड निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो।	
\$	(ভ)	विद्यालय यान आपरेटरों के दो प्रतिनिधि। सदस्य।	
	(ज)	यथा स्थिति अध्यक्ष या महापौर द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय सदस्य।	
		निकाय का एक प्रतिनिधि ।	
		<ul><li>(2) विद्यालय परिवहन सुरक्षा सिमिति की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।</li></ul>	
		(3) विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा यथा	
		विनिश्चित समय पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल में होगी।	
विद्यालय	222-ज	विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति -	
परिवहन	(ক)	विद्यालयों में सम्बद्ध यानो के दस्तावेजों यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, ठीक होने का	
सुरक्षा समिति		प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र एवं चालन	
के कृत्य		अनुज्ञप्ति का परीक्षण करेगी और विहित सन्नियमों का अनुपालन करेगी।	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ख) (ग)	फीस अवधारण करेगी और बस स्टॉपों को चिन्हित करेगी। अपनी संस्तुतियां, यदि कोई हों, जिला स्तरीय समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु		
	( '/	अग्रसारित करेगी।		
	(ঘ)	वर्ष में एक बार विद्यालय यान ड्राइवरों का स्वास्थ्य-नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन		
		जिला स्तरीय सिमति की सहायता से करेगी।		
	(ड.)	प्रत्येक ड्राइवर का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करेगी ।		
	(च)	जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय		
		पर जारी निदेशों का अनुपालन करेगी।		
यानों की	222-झ	(1) विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति, सम्बन्धित पुलिस एवं नगरपालिका		
पार्किंग एवं		प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके विद्यालय यानों हेतु पार्किंग तथा विश्राम		
उनका विराम		स्थलों को चिन्हित करेगी।		
स्थल विद्यालय यानों	222 ਜ	(1) कोर्ट गान स्वामी मा विसालम माणिकारी विसालम गान के किसी दादवर को		
के ड्राइवरों की	222-অ	(1) कोई यान स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी विद्यालय यान के किसी ड्राइवर को तब तक चलाने की अनुमित नहीं देगा जब तक कि:-		
पात्रताएं एवं		(क) उसके पास विधिमान्य चालन अनज्ञप्ति न हो।		
उनके कर्तव्य		(ख) उसके पास कम से कम पांच वर्ष का चालन अनुभव न हो।		
0 14, 4,(104		<ul><li>(ग) वह एक वर्ष में दो बार रेड लाइट पार करने, लेन-अनुशासन का उल्लंघन</li></ul>		
		करने अथवा अप्राधिकृत व्यक्ति को चलाने देने के लिए दण्डित न किया गया		
		हो।		
		(2) प्रत्येक ड्राइवर को-		
		(क) "विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति" द्वारा आयोजित स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण में		
		सम्मिलित होना होगा;		
		(ख) यान की लॉग बुक तैयार करनी होगी और इसमें यान की समस्त त्रुटियों की		
		दैनिक आधार पर प्रविष्टि करनी होगी;		
		(ग) वह विद्यालय यानों हेतु नियत गति सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा		
		(घ) यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त विद्यार्थी सीट बैल्ट बांधेंगे।		
ड्राइवर एवं	222-ਟ	(1) विद्यालय बस के ड्राइवर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :-		
परिचर की		(क) खाकी बुश शर्ट,		
वर्दी		(ख) खाकी फुल पैन्ट		
		<ul><li>(ग) विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र और मोबाइल नम्बर सिहत नेम प्लेट।</li><li>(2) विद्यालय बस के परिचर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी:-</li></ul>		
		(क)    नेवी ब्लू बुश शर्ट, (ख)    नेवी ब्लू फुल पैन्ट,		
		(ग) विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र तथा मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट।		
		(3) महिला परिचर की स्थिति में उसे नेवी ब्लू साड़ी पहननी होगी।		
		(4) विद्यालय वैन के ड्राइवर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :-		
		(क) स्लेटी शर्ट,		
		(ख) स्लेटी फुल पैन्ट,		
<u> </u>				

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (ग) विद्यालय के स्वामित्वाधीन यान के मामले में विद्यालय द्वारा अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन यान के मामले में रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट।
- (5) विद्यालय वैन के परिचर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :-
- (क) नेवी ब्लू बुश शर्ट,
- (ख) नेवी ब्लू फुल पैन्ट,
- (ग) विद्यालय के स्वामित्वाधीन यान के मामले में विद्यालय द्वारा अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन यान के मामले में रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट।
- (6) महिला परिचर के मामले में उसे नेवी ब्लू साड़ी पहननी होगी।

विद्यालय यान परमिट के लिए सामान्य

शर्तें

222-ठ (1) शिक्षा संस्था बस-

# शिक्षा संस्था बसः-

- (क) पीले रंग में रंगी जायेगी और अग्र तथा पश्च भाग में शब्द "विद्यालय बस" लिखा जायेगा और विद्यालय की पहचान हेतु बस के दोनों पार्श्व भागों में विद्यालय का नाम लिखा जायेगा।
- (ख) में आवश्यक रूप से एक आपातकालीन द्वार और एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे अन्दर की ओर से और बाहर की ओर से भी खोला जा सकता है। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पश्च भाग की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. के आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जिसे एक स्थायी फ्रेम में फिक्स किया गया होगा। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
- (ग) में उत्तल क्रास शीशे लगाये जायेंगे ताकि ड्राइवर प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिछले पहियां के अग्रभाग को देख सके और बस परवलियक पश्च दृश्य शीशा से भी सुसज्जित होगी, ताकि ड्राइवर बस के अन्दर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सके।
- (घ) के दरवाजां में भरोसेमन्द ताले लगे होंगे और आगे के द्वार के निम्नतम् पायदान पर हैण्डरेल भी लगा होगा ताकि उसे पकड़कर विद्यार्थी प्रवेश कर सकें तथा निकल सकें।
- (ड.) में छत पर मजबूती से जुड़ी हुई होल्डिंग रॉड लगी होगी। यह फिसलनयुक्त नहीं होनी चाहिए।
- (च) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टीटोन हॉर्न नहीं लगाया जाएग, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगे होने चाहिए जो आपात स्थिति में प्रयोग किए जायेंगे।
- (छ) में पारदर्शी फर्स्ट-एड बाक्स तथा 02 बी0आई0एस0 मार्क 02 कि.ग्रा. की क्षमता वाले अग्नि शामक यन्त्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (ज) के सी.एन.जी. चालित यानों में सिलिन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए।
- (झ) में सीट के नीचे रैक लगी हो ताकि विद्यार्थियों के बैग ठीक से रखे जा सकें।
- (ञ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट लगाई जायेंगी।
- (ट) में खतरे की चेतावनी देने वाला प्रकाश, जिसे विद्यार्थियों को चढ़ाने अथवा उतारने के समय क्रियाशील किया जायेगा, आवश्यक रूप से लगा हो।
- (ठ) की खिड़की में क्षैतिज स्टील की छड़ों को आवश्यक रूप में इस प्रकार फिट किया जायेगा कि दो छड़ों के मध्य 05 से0मी0 से अधिक का अन्तर न हो।
- (ड) गति सीमा यन्त्र से युक्त होगी, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न होने पाये।
- (ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।
- (ण) में सी॰सी॰ टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि-

- (त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।
- (थ) ले जाये जा रहे विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची अवश्य रखी जानी चाहिए। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी मार्गों का विवरण भी उल्लिखित किया जायेगा।
- (द) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य लेकर चलना चाहिए ताकि आपात स्थिति में वैन ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सके तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके।
- (ध) यदि नर्सरी अथवा किन्डर गार्टन के विद्यार्थी को लेने के लिए प्राधिकृत (विद्यालय एवं माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप में मान्यता प्राप्त) नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे तथा संरक्षकों को बुलाकर विद्यालय में सौंप दिये जायेंगे।
- (न) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित चढ़ाने एवं उतारने के लिए स्थान का अपेक्षानुसार अवश्य उपबन्ध किया जाना चाहिए।
- (प) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की स्थिति में परिचर अथवा ड्राइवर को स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा।
- (2) ठेका गाड़ी बस:-

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

ठेका गाड़ी बस:-

- (क) जो किसी विद्यालय में अनन्य रूप से संचालित हों, पीले रंग से रंगी जाएगी तथा उसके अग्र एवं पश्च भाग पर शब्द "विद्यालय बस" लिखा जाएगा। विद्यालय की पहचान के लिए स्कूल का नाम बस के दोनों ओर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ख) जो इस ठेके के अतिरिक्त ठेके में संलग्न हो पीले रंग से रंगी जानी अपेक्षित नहीं होगी। परन्तु यह कि 400 मि.मी. की पीले रंग की पट्टी, बस के चारों ओर खिडकी से 300 मि.मी. नीचे रंगी जायेगी।
- (ग) में एक आपातकालीन द्वार एवं एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे भीतर एवं बाहर दोनों ओर से खोला जा सके। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पीछे की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. में आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जो एक स्थायी फ्रेम में फिक्स होगी। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था अवश्य की जाएगी।
- (घ) में उत्तल क्रास शीशे लगाये जाऐंगे ताकि ड्राइवर प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिछले पहियों के अग्रभाग को स्पष्ट रूप से देख सके और बस परवलयिक पश्च दृश्य शीशा से भी सुसज्जित होगी, ताकि ड्राइवर बस के अन्दर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सके।
- (ङ) के दरवाजों में भरोसेमन्द ताले लगे होंगे और आगे के द्वार के निम्नतम् पायदान पर हैण्डरेल भी लगा होगा जिसे पकड़कर विद्यार्थी प्रवेश कर सकें अथवा निकल सकें।
- (च) में छत पर मजबूती से जुड़ी हुई रॉड लगी होगी। ये फिसलनयुक्त नहीं होनी चाहिये।
- (छ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।
- (ज) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा अन्य मल्टीटोन हार्न नहीं लगाया जायेगा, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगे होने चाहिए जो आपात स्थिति में प्रयोग किये जायेंगे।
- (झ) में पारदर्शी फर्स्ट-एड बाक्स तथा 02 बी0आई0एस0 मार्क 02 कि.ग्रा. की क्षमता वाले अग्नि शामक यन्त्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए।
- (ञ) के सी.एन.जी. चालित यानों में सिलिन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए।
- (ट) में सीट के नीचे रैक लगी हो ताकि विद्यार्थियों के बैग ठीक से रखे जा सकें।
- (ठ) खतरे की चेतावनी देने वाला प्रकाश, जिसे विद्यार्थियों को चढ़ाने-उतारने के समय क्रियाशील किया जायेगा, अवश्य लगा हो।
- (ड) की खिड़की में क्षैतिज स्टील की छड़ों को आवश्यक रूप में इस प्रकार

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

फिट किया जायेगा कि दो छड़ों के मध्य 05 से0मी0 से अधिक का अन्तर न हो।

- (ढ) गति सीमा यन्त्र से युक्त होगी, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न होने पाये।
- (ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।
- (त) में सी॰सी॰ टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात प्रवृत्त हो जायेगा।

यथास्थिति ठेका गाड़ी के प्रत्येक स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (थ) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।
- (द) विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष संख्या तथा संरक्षक का मोबाइल नम्बर, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची उसमें ले जायी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा बस के संचालन मार्ग का विवरण भी उल्लिखित किया जाएगा।
- (ध) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य ले जाना चाहिए तािक आपात स्थिति में बस ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सकें तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके।
- (न) यदि प्राधिकृत व्यक्ति (विद्यालय तथा माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त) नर्सरी या किन्डर गार्टेन के विद्यार्थियों को लेने के लिए नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे। विद्यालय में संरक्षक को बुलाकर उन्हें वापस कर दिये जायेंगे।
- (प) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित उतारने तथा चढ़ाने के लिए अपेक्षानुसार स्थान का उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए।
- (फ) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के मामले में परिचर अथवा ड्राइवर को स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा।
- (3) विद्यालय वैनः-

विद्यालय वैनः-

(क) पीले रंग में रंगी जायेगी। यान के अग्र भाग और पश्च भाग पर 18 इन्च लम्बाई तथा 08 इन्च ऊँचाई के आकार का एक बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा। विद्यालय का नाम बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। अनन्य रूप से विद्यालय ड्यूटी के लिए अप्रयुक्त वैन पर 250 मि0मी0 की एक पीली पट्टी, वैन के चारों ओर खिडकी के स्तर से 200 मि0मी0 नीचे होगी।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (ख) बन्द बॉडी टाइप का होगा। कैनवॉस हुड वाला कोई भी यान विद्यालय वैन के रूप में अनुज्ञात नहीं होगा।
- (ग) में विद्यार्थियों के टिफिन एवं बैग ले जाने के लिए एक वाहक अवश्य लगा होना चाहिए।
- (घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 5 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।
- (ङ) यदि सीएनजी चालित यान है, में सिलेन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होगा।
- (च) की समस्त सीटें सीट बैल्ट से सुसज्जित होगी।
- (छ) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टीटोन हार्न नहीं लगाया जाएग, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगा होगा, जिसे आपात स्थिति में प्रयोग किया जायेगा।
- (ज) में गति सीमा यन्त्र लगाया जाएगा, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न हो।
- (झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त होगा।
- (ञ) ऐसे विद्यालय वैनो में सी॰सी॰ टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा। यथा स्थिति वैन स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-
- (ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक पिरचर होगा और यिद बालिका विद्यार्थी हो तो पिरचर मिहला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वैन में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।
- (ठ) ले जाये जा रहे विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष अथवा मोबाइल नम्बर, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची अवश्य रखी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी मार्गों का विवरण भी उल्लिखित किया जाएगा।
- (ड) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य लेकर चलना चाहिए ताकि आपात स्थिति में वैन ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सके तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके।
- (ढ) यदि नर्सरी अथवा किन्डर गार्टेन कक्षा के विद्यार्थी को लेने के लिए प्राधिकृत (विद्यालय एवं माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त) नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे और संरक्षकों को बुलाकर विद्यालय में सौंप दिये जायेंगे।
- (ण) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित चढ़ाने एवं उतारने के लिए स्थान का अपेक्षानुसार अवश्य उपबन्ध किया जाना चाहिए।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

	(त) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की स्थिति में परिचर या ड्राइवर को
	स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा।
222-ड	निर्वचन:-इस अध्याय के प्रयोजनार्थ:-
(ক)	"परिचर" का तात्पर्य परिचर का कार्य करने के लिए किसी विद्यालय द्वारा नियुक्त
	व्यक्ति से है।
(ख)	"समिति" का तात्पर्य नियम-222 ड के अधीन गठित जिला विद्यालय यान परिवहन
	सुरक्षा समिति से है।
(ग)	'विद्यालय' का तात्पर्य ऐसे किसी सरकारी अथवा निजी संस्था से है, जो नर्सरी से
	कक्षा-12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है।
(ঘ)	"विद्यालय प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय
	के प्रधानाचार्य द्वारा प्राधिकृत किसी ज्येष्ठ अध्यापक से है।
(ङ)	"विद्यालय वैन" का तात्पर्य ऐसे किसी ठेका गाड़ी यान से है, जो अनन्य रूप से
	विद्यालय अथवा किसी कालेज में विद्यार्थियों के परिवहन हेतु प्रयोग किया जाता हो
	तथा चालक सहित 13 सीट तक की बैठने की क्षमता हो।
(च)	'विद्यालय यान' का तात्पर्य ऐसे किसी यान से है जो अनन्य रूप से विद्यालय के
	स्वामित्वाधीन अथवा ठेके पर विद्यार्थियों के परिवहन हेतु प्रयोग किया जाता हो।
(छ)	'विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति' का तात्पर्य नियम 222-छः के अधीन गठित
	समिति से है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वितीय द्वितीय अनुसूची में, अनुसूची में (क) प्रपत्र एस°आर°-21 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-संशोधन

# प्रपत्र एस°आर°-21क [नियम-222 घ(2) देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परिमट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सवा म,			
राज्य/स	तम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, यम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में प		
1. 2.	पूरा नाम किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और निदेशक का नाम		
3.	आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी	। या भागीदार फर्म सहकारी समिनि	ते आदि हो
4.	पूरा पता- (क) स्थायी		
	(ख) वर्तमान(ख) वर्तमान(ख) वर्तमान(ख) कसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, विद्युत प्रतिलिपि सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिर्लि	का समाधान करते हों और कम्पनी पि से सहायक होगी)	या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की
5.	क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परिमट् वांछित है		
6.	यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण वि	वेन्ह	
7.	रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमताठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण		
8.	<del></del>		या हा कि जन सुविधा उपलब्ध कराया
0	जायेगी क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है- हॉ/नहीं		
9. 10.	आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी	ो या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप प्र	ग्राधिकार) का विवरण
	(क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या द्वारा जारी किया गया	क्षेत्र	विधिमान्यता की अवधि
11.	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में- आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपये		
	विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्ब	बत या रद्द किय गय हा, याद	एसा हा, ब्यारा द
12.	क्या उपरोक्त कथित परिमटों से आच्छादित यानों ऐसा कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिव	कारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न क	oरें, यदि   नहीं  किया गया हैं तो बकाया
13.	का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमा भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और साम	ाण-पत्र सहायक हागा।) 11न रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्ष	 ब्रा के लिये किये गये इन्तजामों का
14.	ब्यौरा यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में र	 जिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इस	 नके साथ संलग्न है
15.	मैंने/हमनेरूपये की	•	
	है		

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा संकती है ।

16.	मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैंहम समझता हूँ/समझते	हैं कि परमिट तब तक जारी नहीं किया
17.	जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ कर देते हैं। मैं/हम एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।	वे अन्य बातों के साथ साथ मुझे/हमें
दिनांक .	·	
		आवेदक/आवेदकों के
		हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
* जो भी	लागू न हो उसे काट दें।	(
	कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा।	
1.	प्राप्ति का दिनांक	
2.	आवेदन का दिनांक	
3.	दिनांक	
	सदस्यों को परिचालन	
	बैठक में विचार का दिनांक	
	अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय	
4.	स्वीकृत	
	उपान्तरिक रूप में स्वीकृति	
	अप्रतीकृत	

5.

सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण......

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

# प्रपत्र एस°आर°-21ख [नियम-222 घ(3)देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परिमट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में.	(पाद पान स्वामा एवं विचाराय अपवा संरक्षक के मध्य करार हस्ताबारत हा।)
,	म्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
1. 2.	पूरा नाम किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम
3.	आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो
4.	पूरा पता- (क) स्थायी
	(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम् ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)
5.	क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित हैयान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
6. 7.	यान का प्रकार, इसका माडल आर राजस्ट्राकरण ाचन्ह रजिस्टीकृत सीटों की क्षमता
8.	ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी
9. 10.	क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ हैआवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण
	(क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या द्वारा जारी किया गया क्षेत्र विधिमान्यता की अवधि
	परामट संख्या द्वारा जारा किया गया वज विविधानियता का अववि
	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-
11.	(अ) विरोध अनि प्रिया अन्य पान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परिमट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें
12.	क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है; यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा।)
13.	भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण
14.	यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है
15.	मैंने/हमनेरूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेत्र स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है
16.	मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैंहम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर् देता हूँ कर देते हैं।
17.	मैं/हम एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।
दिनांक	
* <u>स्तो</u> 1ी	हस्तादार या अगूठ का ानशान   लागू न हो उसे काट दें।
ળા ન	ા તા.જે 6ા ભવ ત્યા

कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा संकती है।

1.	प्राप्ति का दिनांक
2.	आवेदन का दिनांक
3.	दिनांक
	सदस्यों को परिचालन
	बैठक में विचार का दिनांक
	अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय
4.	स्वीकृत
	उपान्तरिक रूप में स्वीकृति
	अस्वीकृत
5.	परिमट की संख्या

सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण.......

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा संकती है ।

प्रपत्र एस° आर°-23 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-(ख)

# प्रपत्र एस°आर°-23क [नियम-222 घ(1)देखिये] शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन

सेवा में,	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा अधिनियम की
	के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूं।
1.	पूरा नाम
2.	पिता/पति का नाम
3	आयु
4.	पूरा पता(क) स्थायी-
	(ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि सं समर्थित हो)
5.	दूरभाष संख्या क्षेत्र या मार्ग जिसके ्लिए परमिट वांछित है
6.	क्षेत्र या मार्ग जिसके ्लिए परमिट वांछित है
7.	विद्यालय का नाम और समय 1 1
	2
	3
	4
8.	बैठने की क्षमता
9.	यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
10.	यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं
11.	मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा।
12.	मैं/हम एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं।
स्थान	
	आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।
	(संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
1.	र्सीद का दिनांक
2.	बैठक में विचार का दिनांक
3.	दिनांकस्वीकृत/अस्वीकृत
4.	परमिट की संख्या
	सचिव.
	साचव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण
	समागाय पारवरुन प्राायकरण

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) प्रपत्र एस॰ आर॰-27 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

# प्रपत्र एस°आर°-27क [नियम-222 घ(2)देखिये] ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट

ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परिमेट (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)

		परिवहन प्राधिकरण	
		·	रमिट संख्या
1.	धारक व	का नाम	
2.		गित का नाम (व्यक्ति के मामले में)	
3.	पता-		
	(एक)	स्थायी	
	(दो)		
4.	(एक) य	यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	
	` '	गडल	
		चेसिस संख्या	
		इंजन संख्या	
	(पाच) र	यान का वर्ग	
	(छः) व	गहनके साथ अवक्रय करार के अधीन है।	
5.		न्त्र जिसके लिए पर्मिट विधिमान्य है	
6.	परमिट	ट के अवसान का दिनांक	
7.	किराया	ा की प्रति किलोमीटर की दर मिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में अधिकथित शर्तो के अध्यधीन होगी।	
8.	यह् पर	रामट माटरयान आधानयम, 1988 का धारा ८४ में आधकार्यत शता के अध्यधान हागा।	
9.	रखे जा जायेगी.	नि वाल अभिलेख और दिनाक जब विवरणा परिवहन प्राधिकरण का प्रस्तुत का	
10.	अन्य श		
	(1)	यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनि	क स्थान में उस अवधि के दौरान
	. ,	नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश	
		1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये	या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या
		निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।	
	(2)	यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वज	निक स्थान में नहीं किया जायेगा
	. ,	जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्य	क रूप से संदत्त न कर दिया गया
		हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अ	धीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से
		संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक	ने साशय ऐसे कर के संदाय का
		अपवंचन किया है।	
	(3)	यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण,	जिसने परमिट स्वीकृत किया हो,
		की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।	-
	(4)	यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया ज	ायेगा।
	(5)	यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट	से आच्छादित यान में ले जाया जा
		सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।	
	(6)	यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हं	ो, जिसके अग्रसर करने में परमिट
	. ,	प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं क	
		स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।	
		परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुडे़ हुए किसी सा	रवान विवरण को न तो आच्छादित
		करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।	
	(7)	यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भ	ो समय किसी प्राधिकत व्यक्ति के
	\· /	निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।	
11.	कोई अ	भन्य शर्त	
_			
			सचिव,
			*** • 1

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

	`	^	
पर्व	रवहन	प्राधिकरण	T

#### परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-12.

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्ते
1	2	3

दिनांक	
	सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण
नवीकरण	
यह पर्मिट एतद्द्वारा दिनांकसेसेसेस	लिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए
नवीकृत की जाती है।	
(1) (2)	
(3)	7. 7. 0. 2
किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य दिनांक	'सम्भागो में प्रभावी होगा।
19/119/	सचिव,
	संभागीय परिवहन प्राधिकरण
<b>प्रतिहस्ताक्षर</b> परिवहन प्राधिकरण,	
	संख्या
निम्नलिखित परिवर्तन (variation)के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्रके लिए	प्रतिहस्ताक्षरित-
(1) (2)	
(3)	
दिनांक	सचिव,
	सायपः, संभागीय परिवहन प्राधिकरण
प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण	A
उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्द्वारा,तक नवीकृत दिनांकत	किया जाता है।
13.00	सचिव,
	संभागीय परिवहन प्राधिकरण

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

# **प्रपत्र एस°आर°-27ख** [नियम -222 घ(3)देखिये] ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।) ...परिवहन प्राधिकरण

<ol> <li>धारक का नाम</li> <li>पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)</li> <li>पता-(एक) स्थापी.</li> <li>(दो) वर्तमान.</li> <li>(एक) प्यापी.</li> <li>(दो) वर्तमान.</li> <li>(एक) प्यापी.</li> <li>(एक) प्यापी.</li> <li>(एक) प्यापी का रिजिस्ट्रीकरण किन्ह</li> <li>(दो) माइल.</li> <li>(तीन) वेसिस संख्या.</li> <li>(पाँच) यान का वर्ग.</li> <li>(क) यान.</li> <li>(क) वेस.</li> <li>(क) ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बचित रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन कराधा में विभाग में ने मामा हो या निर्तिकत स्थान में मही किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्धिति और उसके सम्बच्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत न कर दिया गया हो या निर्तिकत का के प्रचार यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत नहीं किया जाता है तो यह उपधाराण जो जायेगी कि परमिट के धारक ने सायाय ऐसे कर के संदाय का अपविच्य नहीं कीया जाता है तो यह उपधाराण जो जायेगी कि परमिट के धारक ने सायाय ऐसे कर के संदाय का अपविच्य नहीं कीया जाता है तो यह उपधाराण प्रमिट यान कराधान अधिन्यम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत नहीं किया जाता है तो यह उपधाराण प्रमिट यान कराधान अधिन्यम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत नहीं किया जाता है तो यह उपधाराण प्रमिट स</li></ol>			परिमट संख्या
<ol> <li>पिता/पित का नाम (व्यक्ति के मामले में)</li> <li>पता-         (एक) स्थायी         (ये) यान का रिजस्ट्रीकरण चिन्ह         (ये) माडल             (तीन) चेसिस संख्या             (या) चन का रिजस्ट्रीकरण चिन्ह             (ये) माडल             (तीन) चेसिस संख्या             (या) चंजन संख्या             (या) चन का वर्ग             (छ) यान का वर्ग             (छ) यान का वर्ग             (छ) यान के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             मार्गक्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है             परमिट के अवसान का दिनांक             के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             परमिट के अवसान का दिनांक             के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             परमिट के अवसान का दिनांक             के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             परमिट के अवसान का दिनांक             के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             परमिट के अवसान का दिनांक             के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।             परमिट के अवसान का दिनांक             का वावो अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी</li></ol>	1	धारक व	
<ul> <li>पता- (एक) स्थायी</li></ul>			
(एक) स्थायी. (त) वर्तमान			KI FI II I (* II KI F II KI T)
(दो) वर्तमान. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण विन्ह (दो) माडत. (तोन) चेसिस संख्या. (तार) इंजन संख्या. (तार) वंजन संख्या. (तार) इंजन संख्या. (तार) वंजन संख्या. (ताव्या.	0.		स्थायी
<ul> <li>(एक) यान का र्राजस्ट्रीकरण चिन्ह</li> <li>(तीन) वेसिस संख्या.</li> <li>(पाँच) यान का वर्ग.</li> <li>(छ) यान को प्रतिक लेसिटर विधिमान्य है.</li> <li>परिमट के अवसान का दिनांक.</li> <li>7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर</li> <li>8. यह परिमट में टरयान अधिनियम, 1988 की धारा ८४ में उपबन्धित शर्तों के अध्यर्थीन रहते हुए होगी।</li> <li>9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी.</li> <li>अन्य शर्ते.</li> <li>(1) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्थित कर दिया गया हो।</li> <li>(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्भहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप में संदत न कर दिया गया हो।</li> <li>(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्भहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप में संदत नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट भाग के धारक ने साश्य ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत नहीं किया है।</li> <li>(3) यह कि धारा 82 की उपधार (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसमे परिमट स्वीकृत किया है। की अनुझा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तिरत नहीं कीजायेगी:</li> <li>(4) यह कि व्यक्तियां की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले संक, रजिस्द्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले संक, रजिस्द्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी मिटर के करपर से अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले संक, रजिस्द्रीकरण प्रमाण-पत्र में से स्था मान को परिवर्त को परिमट से अ</li></ul>		\ <u>'</u> '	
(दो) माडल (तीन) बेसिस संख्या (वार) इंजन संख्या (पाँच) यान का वर्ग (छ) यान	4	` '	
(तान) चासस सख्या. (चार) इंजन संख्या. (पाँच) यान का वर्ग	т.	(दो) मा	। इस
(वार) इंजन संख्या. (पाँच) यान का वर्ग (छ) यान		(वा) ना (तीन) चे	ोसिस संख्या
(पाँच) यान का वर्ग			
(छः) यान		(गार) २ (पाँच) य	गन का वर्ग
<ul> <li>मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परिमट विधिमान्य है</li></ul>		(छ:) या	न के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।
<ul> <li>6. परिमट के अवसान का दिनांक</li></ul>	5	मार्ग/क्षेत्र	त्र जिसके लिए प्राचीट विधिमान्य है
<ul> <li>किराया की प्रति किलोमीटर की दर</li></ul>			
<ul> <li>यह परिमट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शतों के अध्यथीन रहते हुए होगी। रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी</li></ul>			
<ul> <li>रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी</li> <li>अन्य शार्ते- (1) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में उस अविधे के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;</li> <li>(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्दृहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;</li> <li>(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज़ा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;</li> <li>(4) यह कि यान का उपयोग परिमट केसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज़ा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगा;</li> <li>(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।</li> <li>(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट सक्रीन और डेश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।</li> <li>(7) यह कि परिमट को परिमटशारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वार निरक्त के स्वर विवर के लिये हुल स्वर ह</li></ul>		यह पर्रा	मेट मोटरयान अधिनियम १९८८ की धारा ८४ में उपबन्धित शर्तों के अध्यथीन रहते हाग्र होगी।
जायेगी			
<ul> <li>10. अन्य शर्तें- (1) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में उस अविध के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलिम्बत या रद्द कर दिया गया हो;</li> <li>(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक िक राज्य सरकार द्वारा उद्भहीत और उसके सम्बन्ध में संदीय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थित, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;</li> <li>(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;</li> <li>(4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;</li> <li>(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।</li> <li>(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुडे. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।</li> <li>(7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।</li> </ul>	7.		
(1) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में उस अविध के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अिधनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो; (2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्धरीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अिधनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है: (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी; (4) यह कि धान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा; (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अप्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के उपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।	10		
नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;  (2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;  (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्ग पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम मां पर या मार्ग जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्त द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।	10.		
1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;  (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्भहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है:  (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्देष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।		(')	नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्टीकरण प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम
(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है; (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तिरित नहीं कीजायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा; (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या
(2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्भहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है; (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ठ क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा; (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			
तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनयम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;  (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्गों पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।		(2)	
और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;  (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।		(-/	
नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;  (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			
(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिमट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा; (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			
(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा; (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			
किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;  (4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;  (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।  (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;  परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।  (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।  11. कोई अन्य शर्त		(3)	
<ul> <li>(4) यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;</li> <li>(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।</li> <li>(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।</li> <li>(7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।</li> <li>11. कोई अन्य शर्त</li></ul>		(0)	किया हो, की अनज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी:
(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले सके, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।		(4)	यह कि यान का उपयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा:
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।			
(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।  11. कोई अन्य शर्त		(0)	
प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।  11. कोई अन्य शर्त		(6)	
स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त		(0)	
परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त			
आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त			
(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त			आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दरी पर होगा।
द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त		(7)	यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकत व्यक्ति
11. कोई अन्य शर्त		(.)	
	11.	कोई अ	
	_		

सचिव, संभागीय परिवहनं प्राधिकरण

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-12.

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्ते
1	2	3

दिनांक	
	सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण
नवीकरण	
यह परमिट एतद्द्वारा दिनांकसेसेतक	निम्नलिखित अम्रेतर शती के अध्यधीन रहते हुए
नवीकृत की जाती है।	
(1) (2) (3)	
किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के साथशर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिन्	खेत राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।
दिनांक	
	सचिव,
	संभागीय परिवहन प्राधिकरण
प्रतिहस्ताक्षर	
परिवहन प्राधिकरण,	संख्या
शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्यधीन रहते हुए मार्ग/क्षेत्र	
(1)	4 ICIÇ MICIOCIIÇIICI
(2)	
(3) दिनांक	
	सचिव,
	संभागीय परिवहन प्राधिकरण
गवित्यवाश्य का वरीक्या	
<b>प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण</b> उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्दुवारा,तक नवीव	कत किया जाता है।
दिनांक	לינו ואי זו טונוו פו
	सचिव,
	संभागीय परिवहन प्राधिकरण

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) प्रपत्र एस° आर°-29 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

परिवहन प्राधिकरण

# प्रपत्र एस°आर°-29क [नियम-222 घ(1)देखिये]

निजी सेवायान परिमट

					τ	गरमिट संख्या							
1.	धारक क	। नाम											
2.	पिता/पति	ा का नाम (व											
3.	पता-	•	ŕ										
	(ক)	स्थायी											
	(ख)	वर्तमान											
4.	कारबार व	क्रा स्थान अ	ौर प्रकृति (डाक पते	ा के साथ)									
5.	क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है												
6.	यान का प्र	ाकार और	उसमें बैठने की क्षम	ता									
	यान का		प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस							
रजि	स्ट्रीकरण चि	न्ह				संख्या							
	1		2	3	4	5							
7.	विद्यालय	स्थल को अ	ौर वहाँ से लाये जाने	वाले व्यक्तियों की प्रकृति	और उनकी अधिकतम सं	खा							
8.		र अवसान व	<b>ग दिनांक</b>										
9.	शर्तें -			21.0.05									
				में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग			<b>3.</b> 3.						
				त के स्त्र पर लगाये गये प			ारी मे						
				उँचाई के शब्द 'निजी से			_						
				है, अधिकृतम संख्या ्									
			न्तल से अधिक नहीं होगा										
	(ঘ).	यान की सु	ख सुविधा, स्वच्छता	्और अनुरक्षण का मानक	्जैसा कि मोटरयान अधि	नियम, 1988 या तद्धीन ब	नाये गये						
				ं के लिए विनिर्दिष्ट है, यान									
	` '			वेषय साधार्णतया संप्रदिश			. 0						
	(च).			धिकरण को जिसके द्वारा		ऐसी कालिक विवरणी, सां	ख्यकीय						
		और अन्य र	सूचना जैसे राज्य सर	रकार समय-समय पर विनि	विष्टु करे, प्रस्तुत करेगा।								

- (छ). परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा-
  - (एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों।
  - (दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (ज). ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परिमट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परिमट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।
- 10. अन्य कोई शर्तें-
  - (1) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में तब तक उस अविध के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।
  - (2) यह कि ऐसे परिमट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजिनक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परिमट के धारक ने साशय ऐसे कर के भूगतान का अपवंचन किया है।
  - (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परिमट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परिमट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।
  - (4) यह कि यान का प्रयोग परिमट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परिमट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।
- (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परिमटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परिमट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े. हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यह कि परिमट को परिमटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. परिमट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन विधिमान्य है-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्ते
1	2	3

ादनाक		
		सचिव,
	नवीकरण	संभागीय परिवहन प्राधिकरण
	—————————————————————————————————————	
दिनांक		
		सचिव,
		संभागीय परिवहन प्राधिकरण
	प्रतिहस्ताक्षर	
	परमिट संख्या	
•	निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुएमार्ग/क्षेत्र वे	<sup>5</sup> लिये प्रतिहस्ताक्षरित
दिनांक		
		सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण
		समागाय पारपहन प्राायकरण
	प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण	
_	उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्द्वरा,तक के लिये	निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता
है।		
दिनांक		सचिव,
		सायव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण
		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
		आज्ञा से,
		(आराधना शुक्ला)
		प्रमुख सचिव।
		٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 27 मई, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा) विशेष सचिव।

संख्या-12 /2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से.

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय) अनु सचिव।

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2. संचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।

अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू, नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- 4. अपर मुख्य सिचव/प्रमुख सिचव, गृह/न्याय/वित्त/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6. समस्तर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

7. समस्तर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

- 8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 9. समस्तर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

10. विधायी अनुभाग-1

११. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय) अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

# UTTAR PRADESH SHASAN PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.12/2019/805/xxx-4-2019-17(Sa)/2018, dated 27 May, 2019

# No. 12/2019/805/xxx-4-2019-17(Sa)/2018 Lucknow: Dated 27 May, 2019

In exercise of the powers under sections 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176, 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after previous publication in the Gazette wide notification no.49/2018/1952/xxx-4-2018-17 (Sa)/2018, dated 17 December, 2018 as required under sub section (1) of section 212 of the said Act of 1988.

#### THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY SIXTH AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commencement	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty sixth Amendment) Rules, 2019										
	(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.										
Insertion of New chapter	2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, after chapter-IX, the following chapter shall be inserted.										
	CHAPTER-IX A										
	Special Provisions for School vehicles.										
Requirement of permit	222 A. The owner or operator of a motor vehicle shall not allow a vehicle to be used as transport vehicle to carry school children in public place unless a permit is issued under section 76 of the Act for an educational institution bus or contract carriage permit under section 74 of the Act.										
Grant of permit for carrying school children	222 B. (1) An Educational institution bus shall have to obtain permit of private service vehicle under section 76 of the Act. The owner shall apply in Form SR-23A before Competent Authority and the authority may grant permit in accordance with application or with such modification as it deems fit or refuse to grant such permit. The permit shall be issued in form SR-29A.										
	(2) An owner of a private bus, who has a written agreement with school authority shall apply before the Competent Authority under section 73 of the Act in form SR-21A and the authority may grant permit in accordance with application or with such modifications as it deems fit or refuse to grant such permit. The permit shall be issued in form SR-27A.										
	(3) The owner of school van having an agreement with guardians or group of guardians for transporting the school children shall apply under section 73 before the Competent Authority in form SR-21B along with copy of agreement duly forwarded by the school. The authority may grant permit in accordance with application or with such modifications as it deems fit or refuse to grant such permit. The permit shall be issued in form SR-27B.										
	(4) Every school, before going to an agreement with a private operator, shall ensure: that;										

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) the vehicle complies all the norms prescribed in these rules and directions of the State Government from time to time. (b) the character certificate of vehicle owner and driver is obtained. (c) the agreement shall not be terminated before one year except in unavoidable circumstances. Fees-222 C The fee for permit shall be charged under the provisions of rule-125. 222 D (1) The educational institution bus (diesel and clean fuel driven) shall not be Age limit of **School Vehicle** more than 15 years old from the date of initial registration. (2) The diesel/CNG driven private bus (contract carriage) shall not be more than 10 years old from the date of initial registration. (3) The school van, driven by diesel/petrol/CNG or any other clean fuel, shall not be more than 10 years old from the date of initial registration. 222 E (1) There shall be a District School Vehicle Transport Safety Committee for **Constitution of District** each district to discuss, decide and recommend the issues pertaining to safety of the children and their transportation, consisting of:-School Vehicle **Transport** (i) District Magistrate Chairperson Safety (ii) Senior superintendant of Police/Superintendant of Police **Committee** Vice chairperson. (iii) The Regional Transport Officer (Enforcement) of the Member. concerned region (iv) The Assistant Regional Transport Officer (Enforcement) of Member the concerned district Secretary. (v) Executive officer of municipality nominated by District Member. Magistrate or Municipal Commissioner as the case may be. (vi) District Inspector of School Member. (vii) Basic Shiksha Adhikari Member (viii) Two representatives of school transport business to be Member nominated by the chairperson Explanation- In this clause "School transport business" means the vehicle owners who operate the vehicles for schools. (2). The quorum of the meeting of the committee shall be five members. (3). The committee shall meet twice in a year in the month of January and July. **Functions** 222 F (1) The committee shall ensure that the technical inspection of the vehicle be of held in the school campus or at the appointed place. This inspection shall be the committee conducted by Regional Inspector (technical) or an officer higher than him. (2) The committee will fix the inspection schedule of school vehicles in the manner that all vehicles must be inspected at least once in a year. (3) The committee will monitor the performance of school transport safety committee and ensure the compliance of the direction given by the Hon. Supreme Court/High Court and the State Government from time to time.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

#### The School 222 G (1) There shall be a School Transport Safety Committee to look into the matters pertaining to safety of school children, consisting of :-**Transport Safety** The school authority of the concerned school Chairperson Committee An officer nominated by District Magistrate concerned not **(b)** Member below the rank of Nayab Tehsildar Two representatives of the guardians nominated by school (c) Member authority Station House Officer/ Chauki Incharge of the concerned Member (d) police station. An Officer nominated by Basic Siksha Adhikari not below Member (e) the rank of Assistant Basic Siksha Adhikari An Officer nominated by District Inspector of School not Member **(f)** below the rank of Sub Divisional Inspector Two representatives of the school vehicle operators Member **(g)** One representative of local body nominated by **(h)** Member Chairperson or mayor as the case may be (2) The quorum of the meeting of school transport safety committee shall be five members. (3) The school transport safety committee shall meet in the month of July, October, January and April in every year and at such time as may be decided by Chair person. 222 H The School Transport Safety Committee shall **Function** of The **School** (a) examine the documents of the vehicles engaged in schools, such as registration **Transport** certificate, fitness certificate, insurance certificate, permit, pollution under control Safety certificate, driving license and ensure the compliance of prescribed norms. Committee (b) determine the fee and identify the bus stops. (c) forward its recommendations if any to the district level committee for necessary action. (d) organize a health-eye check-up camp of the drivers of the school vehicles once in a year with the help of district level committee. (e) ensure the police verification of each driver. (f) comply the directions issued by District School Vehicle Transport Safety Committee or the State Government from time to time. **Parking** and 222 I (1) The School Transport Safety Committee in consultation with police and halting place municipal authorities concerned shall identify the parking and halting stations of the school vehicles. of vehicle **Eligibilities** 222 J (1) No vehicle owner or school authority shall allow a driver of the school and duties of vehicle to drive until he:drivers of (a) possesses a valid driving license. school vehicles (b) has an experience of driving of at least 05 years. (c) has not been punished twice in a year of jumping red light, breaking the lane discipline, or allowing unauthorized person to drive.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

### (2) Every driver shall:-

- (a). participate in the health/eye check up organized by the 'school transport safety committee'.
- (b) prepare a logbook of the vehicle and all the defects of the vehicle shall be entered on the daily basis.
- (c) not violate the speed limit fixed for school vehicles.
- (d) ensure that all school children shall fasten the seat belt.

# Uniform of the driver and attendant

222 K (1) Driver of a school bus shall wear the following uniform:-

- (a) Khakhi bush-shirt.
- (b) Khakhi full pant.
- (c) Identity card and name plate with mobile number issued by the school.
- (2) The attendant of a school bus shall wear the following uniform:-
  - (a) Navy blue bush-shirt.
  - (b) Navy blue full pant.
  - (c) Identity card and name plate with mobile number issued by the school.
- (3) In case of lady attendant, she will wear navy blue saree.
- (4) The driver of school van shall wear the following uniform:-
  - (a) Gray shirt.
  - (b) Gray full pant.
  - (c) Name plate with mobile number issued by the school in case of school owned vehicle or by the registered owner in case of vehicle owned by a private person.
- (5) The attendant of school van shall wear the following uniform:-
  - (a) Navy blue bush-shirt.
  - (b) Navy blue full pant.
  - (c) Name plate with mobile number issued by the school in case of school owned vehicle or by the registered owner in case of vehicle owned by a private person.
- (6) In case of lady attendant, she will wear navy blue saree.

# General Conditions For School Vehicle Permit

#### 222 L (1) Educational Institution Bus-

An educational institution bus:-

- (a) shall be painted in yellow colour and the word "School Bus" will be written on the front and rear side and the name of school shall be written on both the sides of bus for recognition of school.
- (b) shall have necessarily an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cmsX120 cms, which may be opened from inside and outside also. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cm size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be kept to break the glass of the emergency exit window.
- (c) shall be fixed with the convex cross mirrors so that the driver may see the entry and exit gate and the front of the rear wheels and the bus will also be equipped with parabolic rear view mirror so that the driver may see clearly the inside scene of the Bus.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (d) shall have doors fitted with reliable locks and a hand rail will also be fixed in the lowest step of the front gate so that children may enter and come out.
- (e) shall have tightly fixed holding rod on the roof. It should not be slippery.
- (f) shall not be fitted with the pressure horn or the multi tone horn in any case, but there should be a alarm bell/siren, which will be used in emergency.
- (g) must be fitted with a transparent first aid box and 02 BIS mark fire extinguishers, having capacity of 02 kg of which one should be fitted in the cabin and other near the rear emergency gate.
- (h) should have no provision of seat on the cylinder in the CNG driven vehicles.
- (i) must be equipped with rack below the seat so that bags of children may be kept properly.
- (j) shall be equipped with seat belts in all seats.
- (k) shall have hazard warning light which shall be activated at that time when the vehicle will be stopped for boarding or alighting of the children.
- (l) must have steel rods fitted parallel in the window in such way that the gap between two may not be more than 05 centimeters.
- (m) shall be fitted with speed limit device so that the speed thereof may not cross the speed limit of 40 km per hour.
- (n) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these rules.
- (o) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these rules.

## The School Authority shall ensure that

- (p) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.
- (q) the list of the school children being carried must be kept with details as the name of children (as in school), class, home address, phone no., mobile no., blood group and nearby place of his/her house. This list will be verified by the principal of the school concerned and the details of the routes there of will also be mentioned.
- (r) that the driver or attendant must carry one set of mobile phone, so that in case of emergency the bus driver or the attendant may inform about the incident to the School Authority and make necessary arrangements for safety of school children.
- (s) If the authorised person (recognized mutually by the school and parents) does not come to pick the child of nursery or kindergarten class then such children will be brought back to the school and will be handed over to guardian by calling them in school.
- (t) space for safe boarding and off loading inside the school campus is provided as per requirement.
- (u) In case of physically handicapped children, the attendant or the driver shall himself ensure safe boarding and off loading in the bus.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

#### (2) Contract carriage bus :-

A contract carriage bus

- (a) plying exclusively in a school, shall be painted in yellow colour and the word "School Bus" will be written on the front and rear side. The name of school shall be exhibited on both the sides of bus for recognition of school.
- (b) having contract in addition to this contract shall not be required to be painted in yellow colour.

Provided that yellow strip of 400 mm shall be painted on all sides of the bus 300 mm below the window.

- (c) shall have an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cms X 120 cms, which may be opened from inside and outside both. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cms size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be made to break the glass of the emergency exit window.
- (d) shall be fixed with convex cross mirrors so that the driver may see the entry and exit gate and the front of the rear wheels and the bus will also be equipped with parabolic rear view mirror so that the driver may see clearly the inside scene of the bus.
- (e) shall have doors fitted with reliable locks and a hand rail will also be fixed in the lowest step of the front gate so that children may enter and come out.
- (f) shall have tightly fixed rod on the roof. It should not be slippery.
- (g) shall be equipped with seat belts in all seats.
- (h) shall not be fitted with the pressure horn or the multi tone horn in any case, but there should be a alarm bell/siren which will be used in emergency.
- (i) must be fitted with a transparent first aid box and 02 BIS mark fire extinguishers having capacity of 02 kg of which one should be fitted in the cabin and other near the rear emergency gate.
- (j) should have no provision of seat on the cylinder in the CNG driven vehicles.
- (k) must be equipped with rack below the seat so that bags of children may be kept properly.
- (l) shall have hazard warning light which shall be activated at that time when the vehicle will be stopped for boarding or alighting of the children.
- (m) must have, steel rods fitted parallel in such a way that the gap between two may not be more than 05 centimeters.
- (n) shall be fitted with speed limit device so that the speed there of may not cross the speed limit of 40 km per hour.
- (o) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these rules.
- (p) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these rules.

Every owner of contract carriage or School Authority as case may be shall ensure that

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (q) there shall have one attendant in addition to the driver and in case of girl children exclusively the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.
- (r) The list of the school children shall be carried therein with details of the children as the name of children (as in school), class, home address, phone no. and mobile no of the guardian, blood group and nearby place of his/her house. This list will be verified by the principal of the school concerned and the details of the routes there of will also be mentioned.
- (s) the driver or attendant must carry one set of mobile phone, so that in case of emergency the bus driver or the attendant may inform about the incident to the School Authority and make necessary arrangements for safety of school children.
- (t) If the authorised person (recognized mutually by the school and parents) does not come to pick the child of nursery or kindergarten class then such children will be brought back to the school and will be handed over to guardian by calling them in school.
- (u) space for safe boarding and off loading inside the school campus must be provided as per requirement.
- (v). In case of physically handicapped children, the attendant or the driver shall himself ensure safe boarding and off loading in bus.

## (3) School van

A school Van,-

(a) shall be painted in yellow colour. It shall display a board of the size 18 inches in length and 8 inches height on front and rear of the vehicle. The name of the school shall be exhibited on the board.

Vans not exclusively used for school duty will have yellow strip of 250 mm on all sides of van 200mm below window level.

- (b) shall be closed body type. No vehicle with canvas hood shall be permitted as school van.
- (c) must be attached with a carrier to carry the tiffins and bags of the children.
- (d) shall be equipped with first aid box and one fire extinguisher of 05Kg of BIS mark.
- (e) shall have no provision of seat on the cylinder if it is a CNG driven vehicle.
- (f) shall be equipped with seat belt in all seats.
- (g) shall not be fitted with the pressure horn or the multi tone horn in any case, but there should be a alarm bell/siren which will be used in emergency.
- (h) shall be fitted with speed limit device so that the speed there of may not cross the speed limit of 40 km per hour.
- (i) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will be come into force after 03 months of the implementation of these rules.
- (j) The provision of CCTV camera in such school vans shall be compulsory. It will be come into force after 03 months of the implementation of these rules.

The Van owner or School Authority as the case may be shall ensure that

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (k). there shall be one attendant in addition to the driver and in case girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel there in such van.
- (l). the list of the school children being carried shall be kept with details as the name of children (as in school), class, home address, phone no., mobile no., blood group and nearby place of his/her house. This list will be verified by the principal of the school concerned and the details of the routes there of will also be mentioned.
- (m) the driver or the attendant must carry one set of mobile phone, so that in case of emergency the van driver or the attendant may inform about the incident to the School Authority and make necessary arrangements for safety of school children.
- (n) If the authorised person (recognized mutually by the school and parents) does not come to pick the child of nursery or kindergarten class then such children will be brought back to the school and will be handed over to guardian by calling them in school.
- (o). space for safe boarding and off loading inside the school campus must be provided as per requirement.
- (p). In case of physically handicapped children, the attendant or the driver shall himself ensure safe boarding and off loading in bus.

## 222 M Interpretation: For the purpose of this chapter

- (a) 'Attendant' means a person appointed by a school to carry out the work of attendant.
- (b) "Committee" means the District School Vehicles Transport Safety Committee constituted under rule 222 E.
- (c) 'School' means a Government or a private institution which imparts education to the students from nursery to class-12<sup>th</sup>.
- (d) 'School Authority' means the Principal, the Head Master or a senior teacher authorised by the Principal of a school.
- (e) 'School Van' means a contract carriage vehicle which is used exclusively in a school, or a college for transporting school children and having seating capacity upto 13 including driver.
- (f) 'School Vehicle' means such a vehicle being exclusively used to transport the school children, either owned by school or on contract.
- (g) The School Transport sefety committee means the committee constituted U/R 222-G

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

Amendment in second schedule

- in 3. In the Second Schedule,-
  - (a) after from SR21 the following new forms shall be inserted, namely:-

#### Form SR-21A

[See Rule 222 D(2)]

Application for permit in respect of a contract carriage (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)

To.

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

- 1. Full name....
- 2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be......
- 3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc.....
- 4. Full address:
  - (a) Permanent.....
  - (b) Present.....

(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).

- 5. Area or routes for which permit is desired.....
- 6. The type of the vehicle, its model and registration mark.....
- 7. Registered seating capacity.....
- 8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....
- 9. Whether contract is entered with school Yes/No
- 10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
  - (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity
	*		

- (b) Any other vehicle
- 11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details
- 12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)
- 13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage
- 14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
- 15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.
- 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17.	I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us.
Date:	
	Signature or thumb-impression of applicant(s)
*Strike out	whichever is not applicable.
	To be filled in by the office of the Transport Authority
1. 2. 3. Decision by	Date of receipt Date of application Date of Circulation to members Consideration at meeting Chairman
4.	Granted Granted in modified form Rejected
5.	Number of permit

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा संकती है ।

#### Form SR-21B

[See Rule 222 D(3)]

Application for permit in respect of a contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or the guardian is signed)

To,

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

1.	Full name	
	Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of	
	name of the managing partner or the managing director as the case may be	
3.	Status of the applicant, whether individual, company or partnership fi	rm Co-operative Society.
	etc	

4. Full address:

- (a) Permanent.....
- (b) Present.....

(To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).

- 5. Area or routes for which permit is desired.....
- 6. The type of the vehicle, its model and registration mark.....
- 7. Registered seating capacity.....
- 8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served.....
- 9. Whether contract is signed with school or guardians -
- 10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
  - (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

- (b) Any other vehicle
- 11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details
- 12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)
- 13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage
- 14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
- 15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs.....in the shape of non-judicial stamps.
- 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration.
- 17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us.

Date:	 										

ı- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

# Signature or thumb-impression of applicant(s)

\*Strike out whichever is not applicable.

To be filled in	by the office	of the Transpo	rt Authority

1.	Date of receipt	
2.	Date of application	
3.	Date of	
	Circulation to members	
	Consideration at meeting	
Decision b	y Chairman	
4.	Granted	
	Granted in modified form.	
	Rejected	
5.	Number of permit	
		Secretary,
		Regional Transport Authority

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(b) after from SR23 the following new forms shall be inserted, namely:-

# Form SR-23A

[See Rule 222 D(1)]

Application for grant of permit to the educational Institution bus

To,		
	Reg	gional Transport Authority,
undersi		accordance with the provisions of Section 69, 70 and 71 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the d hereby apply for a school bus/school van permit under section 66 of the act.
	2.	Full name.  Name of the father/husband
	<ul><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li></ul>	Phone no
	11.	Seating capacity  The type of the vehicle, its model and registration mark  I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle  I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We will purchase and present the vehicle.  I/We hereby, declare that above statements are true.
Date:		
Place:		
		Signature or thumb-impression of applicant(s)
		To be filled in by the office of the Regional Transport Authority
	1. 2. 3. 4.	Date of receipt
		Secretary,Regional Transport Authority

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) after from SR27, the following new forms shall be inserted, namely:-

#### Form SR-27A

[See Rule 222 D(2)]

Permit in respect of contract carriage (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)

	mit No
1.	Name of the Holder
2.	Father's/Husband's name
	(in the case of an individual)
3.	Address:
	(a) Permanent.
	(b) Present
4.	(i) Registration Mark of the Vehicle
	(ii) Model
	(iii) Chassis Number
	(iv) Engine Number
	(v) Class of vehicle
	(vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with
5.	Route/Area for which the permit is valid
6.	Date of expiry of the permit
7.	Rate of fare per kilometer
8.	This permit shall be subject to the conditions laid down in Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988
9.	The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the
	Transport Authority
10.	Other conditions:
	(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place
	during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have
	been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle
	Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;

1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
(3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted

(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act,

- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.
- 11. Any other conditions.

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Date	······		Secretary,
	12. The mammit is visited also in	the medians and subject to the	Transport Authority.
	12. The permit is valid also in	tine regions and subject to u	
	Region	Route/Area	Conditions
	1	2	3
Date	<u></u>		
			Secretary, .Regional Transport Authority
		RENEWALS	
This	permit is hereby renewed upto	day of	subject to following
further condi	tions-		
(1)			
(2) (3)			
` '	effective also in following State/	Regions, subject to any con	dition attached to the previous counter-
signature.	C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Date			
			Secretary,Regional Transport Authority
	CO	OUNTER-SIGNATURE	Regional Transport Authority
	Transport Authority		
_			No
	nter-signed for Route/Areae following variation of conditions		
(1)	e following variation of conditions	S	
(2)			
(3)			
Date			
			Secretary,
	RENEWA	L OF COUNTER-SIGNAT	Regional Transport Authority
The above co	ounter-signature is, hereby, renew		
Date		-	
			Secretary,

.....Regional Transport Authority

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

# Form SR-27B

[See Rule 222 D (3)]

# Permit in respect of contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or guardian is signed)

	Transport Authority
	Name of the Holder
2.	Father's/Husband's name
	(in the case of an individual)
3.	Address:
	(a) Permanent
4	(b) Present
4.	(i) Registration Mark of the Vehicle
	(ii) Model
	(iii) Chassis Number
	(iv) Engine Number
	(v) Class of vehicle.
E	(vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with
	Route/Area for which the permit is valid
7.	Date of expiry of the permit.
7. 8.	Rate of fare per kilometer
0.	Act, 1988
9.	The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the
).	Transport Authority
10	Other conditions:
10	(1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place
	during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have
	been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle
	Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;
	(2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place
	unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been
	duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act,
	1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally
	evaded the payment of such tax;
	(3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred
	to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted
	the permit;
	(4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
	(5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be
	carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of
	registrations.
	(6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business
	in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the
	identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet,
	front screen and dashboard of the vehicle:
	Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20
	centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.
	(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a
4.4	manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.
	. Any other conditions

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

#### Secretary,

......Regional Transport Authority

12. The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below

Region Route/Area Conditions

	Region	Route/Area	Conditions
	1	2	3
Date			
			Caanatamy

	Secretary,
	Regional Transport Authority
	RENEWALS
This permit is hereby renewed upto further conditions-	day ofsubject to following
(1)	
(2)	
(3)	
. ,	ns, subject to any condition attached to the previous counter
signature.	,g p
Date	
2	Secretary,
	Regional Transport Authority
COLINT	TER-SIGNATURE
Transport Authority	EK BIGIVIT CKE
	No
Counter-signed for Route/Area	
subject to the following variation of conditions:	
(1)	
(2)	
(3)	
Date	
	Secretary,
	Regional Transport Authority
RENEWAL OF	COUNTER-SIGNATURE
The above counter-signature is, hereby, renewed up	to
Date	
	Secretary,
	Regional Transport Authority
	······································

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.nic.in">http://shasanadesh.up.nic.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

(d) after from SR29 the following new forms shall be inserted, namely:-

#### Form SR-29A

[See Rule 222 D (1)]

#### Private Service Vehicle Permit

	Transport Authority	
Per	rmit No	
1.	Name of the Holder	
2.	Father's/Husband's name	
	(in the case of an individual)	
3.	Address:	
	(a) Permanent	
	(b) Present	
4.	Place and nature ofbusiness	. 6
	(with postal address)	
5.	Area or route(s) for which permit is valid.	
	Type and seating capacity of the vehicle:	

Registration mark of the vehicles	Туре	Seating Capacity	Gross vehicle weight	Chassis No. of the vehicle
1	2	3	4	5

- 7. Nature and maximum number of persons to be carried to and from the place of school.....
- 8. Date of expiry of the permit.....
- 9. Conditions:
  - (a) The vehicle shall be used only in the area on the route of routes specified in the permit;
  - (b) The holder of the permit shall legibly display the words "PRIVATE SERVICE VEHICLE", not less than 10 cms. high in black on vehicle ground on a board or place affixed to the form of the vehicle at the level of the roof;

  - (d) Standards of comforts, cleanliness and maintenance of the vehicles as specified for public service vehicles in the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made thereunder shall be maintained in the vehicle;
  - (e) No advertising matter shall ordinarily be displayed on the vehicle.
  - (f) The holder of the permit shall furnish to the Transport Authority by which the permit is issued, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify;
  - (g) The holder of the permit shall also abide by-
    - (i). the conditions prescribed under Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988 and other provisions of the Act, insofar as they apply to the holder of the permit;
    - (ii). any other condition or conditions that may be specified by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority;
  - (h) The Transport Authority by which the permit is issued may, after giving notice of not less than one month may vary the conditions of the permit or attach thereto any further conditions.
- 10. Any other conditions:
  - (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;

ı- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है , अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
- (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
- (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
- (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations.
- (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

- (7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.
- 11. The permit is valid also in the regions and subject to the conditions set our below:

Region	Route/Area	Conditions	
1	2	3	

Date	
	Secretary,Regional Transport Authority RENEWALS
Renewed upto	TELL WILLS
•	
Date	
	Secretary,
	Regional Transport Authority
	COUNTER-SIGNATURE
Permit No	COUNTER SIGNATURE
Counter-signed for Route/Area subject to the fo	llowing variation of conditions:
	Secretary,Regional Transport Authority OF COUNTER-SIGNATURE
	eby, renewed up tosubject to the
following conditions:	
Date	<b>G</b>
	Secretary,
	Regional Transport Authority
	By Order,
	Aradhana Shukla
	Principal Secretary.

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।